न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
कैम्प भोपाल

R 341-PB/2017

1. चम्पालाल आत्मज श्री स्व0 प्रेमलाल
2. सूनील आत्मज श्री स्व0 प्रेमलाल
3. अनिल आत्मज श्री स्व0 प्रेमलाल

तीनों निवासी ग्राम सेल तह. डोलरिया,
जिला होशंगाबाद...पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. काशीबाई पत्नी गुलाब मलोथरा
निवासी वार्ड नं. 33 सिवनी नाके सामने,
संजय नगर कॉलोनी ग्वालटोली, होशंगाबाद
2. सोमवती बाई पत्नि दशराथ धोलपुरिया,
निवासी ग्राम सिरवाड़ तह. बाबई जिला होशंगाबाद
3. जमनाबाई पुत्री राजाराम
निवासी सूरजगंज मोहल्ला दाल मिल के सामने,
इटारसी जिला होशंगाबाद..................................उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

उक्त पुनरीक्षण याचिका अपर आयुक्त नर्मदापुरम् होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 अपील क्र. 52/2016-17 में पारित किये गये आदेश जिसके अंतर्गत अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया धारा- 52 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिससे दुःखी होकर उक्त पुनरीक्षणकर्ता निम्नांकित तथ्यों व आधारो पर उक्त पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है। उक्त पुनरीक्षण याचिका पूर्ण समयावधि में प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

1. यह कि ग्राम सेल में पुनरीक्षणकर्ता क्र. 1 के पिता क्र. 2 व 3 के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 42/2 रकबा 02.428 हैक्टे. भूमि राजस्व विभाग में दर्ज है एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 341 –पीबीआर/17 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–1–2017	आवेदकगण द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तथ्य अपील में सुनवाई हेतु ग्राह्य कर लिये गये हैं एवं स्थगन आवेदन पत्र में स्थगन का पर्याप्त आधार नहीं होने से स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस न्यायालय में भी आवेदकगण की ओर से ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका है कि प्रकरण में स्थगन दिया जाना आवश्यक है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	